भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5731** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/ 14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्गों में कार्गो परिवहन

†5731. श्री दामोदर अग्रवाल :

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत :

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :

श्री पी. पी. चौधरी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2024-25 सहित विगत तीन वर्षों के दौरान फरवरी, 2025 तक अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कुल कितना कार्गो परिवहन किया गया है;

(ख) वित्त वर्ष 2014-15 से फरवरी, 2015 तक अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कुल कितना कार्गो परिवहन किया गया है;

(ग) फरवरी, 2025 तक 'कार्गो प्रोत्साहन योजना' के लिए कुल कितनी निधि आवंटित और व्यय की गई है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान 'कार्गो प्रोत्साहन योजना' के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) का अधिदेश और आईडब्ल्यूएआई द्वारा परिवहन के लिए विकसित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014-15, 2019-20 और 2023-24 में राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार प्रचालनशील अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से परिवहन किया गया कुल कार्गो निम्नानुसार है:-

वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25 (फरवरी, 2025 तक)
परिवहन किया गया कार्गो मिलियन टन में	126.15	133.03	133.12

(ख): वित्त वर्ष 2014-15 में, राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) के माध्यम से कुल 29.16 मिलियन टन कार्गो परिवहन किया गया।

(ग) और (घ): सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2024 को शुरू की गई कार्गो प्रोत्साहन योजना (जलवाहक योजना) में निम्नलिखित दो घटक हैं:-

घटक 1: कार्गो के रेल/ सड़क से अंतर्देशीय जल परिवहन तक पर्याप्त मॉडल शिफ्ट हेतु 35% तक वित्तीय प्रोत्साहन सीधे कार्गो स्वामियों को प्रदान करना।

घटक 2: अंतर्देशीय एवं तटीय पोत परिवहन लिमिटेड (आईसीएसएल) द्वारा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग से होते हुए रा.ज.-1, रा.ज-2 पर अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु निर्धारित सेवाएं शुरू करना।

कार्गो प्रोत्साहन योजना ने तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2024- 2025 से वित्त वर्ष 2026-27) की अवधि के लिए 95.42 करोड़ रु. का प्रावधान अनुमोदित किया है। इस योजना के अंतर्गत फरवरी, 2025 तक 1.16 करोड़ रु. का व्यय हुआ है।

(ङ): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) का अधिदेश, राष्ट्रीय जलमार्गों को पोत परिवहन और नौचालन के प्रयोजनों हेतु विनियमित एवं विकसित करना है। आईडब्ल्यूएआई द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचना विकास के भाग के रूप में, फेयरवे रख-रखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रख-रखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग एवं नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण), सामुदायिक जेट्टियों, फ्लोटिंग टर्मिनलों, मल्टी मॉडल टर्मिनलों (एमएमटी), इंटर मॉडल टर्मिनलों (आईएमटी) तथा नेविगेशनल लॉक का निर्माण आदि किया गया है। वर्ष 2014-15, 2019-20 तथा 2023-24 में प्रचालनशील राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई क्रमश: 2716 कि.मी., 4203 कि.मी. और 4894 कि.मी. है। राज्य-वार/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

04.04.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5731 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष 2014-15, 2019-20 तथा 2023-24 में राज्य-वार प्रचालनशील राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई (कि.मी. में)					
क्रम सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2019-20	2023-24
1	रा.ज.- 1 (गंगा –भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया – इलाहाबाद))	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल	1,620	1,620	1,620
2	रा.ज.- 2 (ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सादिया))	असम	891	891	891
3	रा.ज.- 3 (वेस्ट कोस्ट नहर)	केरल	205	205	205
4	रा.ज.- 4 (कृष्णा गोदावरी नदी प्रणाली)	आंध्र प्रदेश	-	82	82
5	रा.ज.- 5 (ईस्ट कोस्ट नहर तथा मताई नदी / ब्राह्मणी – खार्सुआ – धामरा नदियां/ महानदी डेल्टा नदियां)	ओडिशा	-	-	233
6	रा.ज.- 8 (अलाप्पुझा -चंगनसरी नहर)	केरल	-	-	29
7	रा.ज.- 9 (अलाप्पुझा -कोट्टायम - अथिरमपुजा नहर)	केरल	-	-	40
8	रा.ज.- 14 (बैतरणी नदी)	ओडिशा	-	-	48
9	रा.ज.- 16 (बराक नदी)	असम	-	121	121
10	रा.ज.- 23 (बुध बलंगा)	ओडिशा	-	-	56
11	रा.ज.- 31(धनसीरी /चात्हे)	असम	-	-	114
12	रा.ज.- 44 (इच्छामती नदी)	पश्चिम बंगाल	-	63	63

13	रा.ज.- 64 (महानदी नदी)	ओडिशा	-	-	98
14	रा.ज.- 86 (रूपनारायण नदी)	पश्चिम बंगाल	-	-	72
15	रा.ज.- 94 (सोन नदी)	बिहार	-	141	141
16	रा.ज.- 97 (सुंदरबन जलमार्ग)	पश्चिम बंगाल	-	172	172
17	रा.ज.- 10 (अंबा नदी)	महाराष्ट्र	-	45	45
18	रा.ज.- 83 (राजपुरी क्रीक)	महाराष्ट्र	-	31	31
19	रा.ज.- 85 (रेवडांडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली)	महाराष्ट्र	-	31	31
20	रा.ज.- 91 (शास्त्री नदी -जयगढ़ क्रीक प्रणाली)	महाराष्ट्र	-	48	48
21	रा.ज.- 68 (माण्डोवी नदी)	गोवा	-	41	41
22	रा.ज.- 111(ज़ुआरी नदी)	गोवा	-	50	50
23	रा.ज.- 73 (नर्मदा नदी)	गुजरात	-	226	226
24	रा.ज.- 100 (तापी नदी)	गुजरात	-	436	436
	कुल लंबाई, कि.मी. में		**2,716**	**4,203**	**4,894**

*****